महत्वपूर्ण

संचिका संख्या–4 / एफ1–01 / 2017 श्र0सं0......

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह
प्रधान सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, गृह विभाग,शिक्षा विभाग।
पुलिस महानिदेशक,
पुलिस महानिदेशक (गृह रक्षा वाहिनी)
महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव,
प्रधान सचिव / सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, ऊर्जा विभाग
नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग
प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०,पटना।
प्रबंध निदेशक, उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०, पटना।
प्रबंध निदेशक, पावर ट्रान्समिशन कंपनी लि०।
निदेशक, आई०सी०डी०एस०।
कार्यकारी निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति।
निदेशक, एड्स कंट्रोल सोसाईटी।

प्रशाखा-3

श्री पुष्कर जी
19/03/19

पटना, दिनांक–

विषयः– **कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–18.03.2019 को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देश के संबंध में।**

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में दिनांक–18.03.2019 को 11.30 बजे पूर्वाहन में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा दिये गये निर्देश का स्मरण करना चाहेंगे। उक्त बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे सभी कर्मी जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों से आच्छादित होंगें, उन्हें निश्चित रूप से दिनांक–26.03.2019 तक संबंधित अधिनियम से आच्छादित किया जाय। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर करने हेतु प्रतिवेदन श्रम संसाधन विभाग को हाथों–हाथ दिनांक–27.03.2019 तक उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अनुरोध है कि मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दिनांक–18.03.2019 की बैठक में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय, साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर करने हेतु प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में हाथों–हाथ दिनांक–27.03.2019 तक श्रम संसाधन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में अगली बैठक दिनांक–27.03.2019 को अपराहन 3.30 बजे, मुख्य सभागार, पुराना सचिवालय में आयोजित की गयी है। कृपया उक्त बैठक में भाग लेने की कृपा करें। विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन बैठक में भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

अनुलग्नक–यथोक्त

विश्वासभाजन

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक संख्या–4 / एफ1–01 / 2017 श्र0सं0...... 1347 पटना, दिनांक– 18.3.19

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव / सचिव, अन्य सभी विभाग

अनुरोध है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी सुयोग्य कर्मियों को आच्छादित करने एवं इस विषय से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन श्रम संसाधन विभाग को दिनांक–27.03.2019 तक हाथों–हाथ उपलब्ध कराने की कृपा करें। अगर प्रतिवेदन शून्य है तब भी इस संबंध में विभाग को अवगत कराने की कृपा करें।

18/3/19
(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

P.T.O

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांक–वि०प्रा० (iii) विविध 02/2019 1003 पटना, दिनांक– 19-3-2019

प्रतिलिपि–सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान, सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेशित किया जाता है कि उक्त मामला माननीय न्यायालय से संबंधित है, अतः तत्संबंधी प्रतिवेदन वर्ग 3 एवं 4 के संबंध में संलग्न विहित प्रपत्र के माध्यम से ई–मेल पर अविलंब उपलब्ध करावें।

अनु०-यथोक्त।

19.3.19

संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– वि०प्रा० (iii)विविध–02/2019/ 1003 /पटना, दिनांक – 19-3-2019

प्रतिलिपि– सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान, सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना को दिनांक 25.03.19 को अपराह्न 03:00 बजे तक संलग्न विहित प्रपत्र में अद्यतन प्रतिवेदन के साथ विशेष सचिव के कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक में निश्चित रूप से भाग लेना सुनिश्चित करें।

19.3.19

संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत बिहार सरकार के प्रतिष्ठानों में संविदा/दैनिक वेतन/आउसोर्सिंग कर्मचारियों का अनुपालन दिनांक 26/03/2019 की अद्यतन स्थिती

विभाग/अनुभाग एवं उनका भविष्य निधि खाता संख्या	कुल अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या एवं भविष्य निधि खाता संख्या			कर्मचारी भविष्य निधि योजना/पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों की संख्या		

टिप्पणी : इस विवरणी के साथ अधिकारियों/कर्मचारियो का नाम, पिता का नाम, स्थापना में योगदान की तिथि, वेतन, एवं उनका आधार संख्या भी आवश्यक है जो की संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक –क) में भेजने का सुनिश्चत करें।

प्रधान सचिव /सचिव/विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर

विभाग / अनुभाग का नाम--

अनुलग्नक --क

क्र० सं०	सदस्य का नाम	पिता का नाम	विभाग / अनुभाग में योगदान की तिथि	आधार संख्या	वेतन
1					
2					
3					
4					
5					

प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर